न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : : सरिता यादव, RJS (आरजे 00784)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :: 50/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :: 153/2026 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर
CNR NO.RJSK160002932026

दीपक सर्राफ पुत्र मोहनलाल, उम्र 52 वर्ष निवासी–लक्ष्मीनाथ नगर कस्बा फतेहपुर पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, फतेहपुर जिला सीकर (राज०)

–विपक्षी /अभियोगी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 B.N.S.S.

अपराध अन्तर्गत धारा–318(4)/112 (2)B.N.S.2023 ,3/4 आर.पी.जी.ओ.

उपस्थिति:–

(1) श्री प्रियवत जोशी, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

(2) श्री जय कौशिक, अपर लोक अभियोजक–राजस्थान राज्य की ओर से।

–::**आदेश**::– **दिनांक :: 04.06.2026**

1. हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दीपक सर्राफ की ओर से विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–480 B.N.S.S.दिनांक 27.05.2026 को अस्वीकार किये जाने के पश्चात इस न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 483 B.N.S.S.2023 में पेश किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलायी गयी। केस डायरी तलब की गयी । बहस सुनी गयी एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 24.05.2026 को उ.नि. ईश्वरसिंह को डीएसटी टीम प्रभारी जगदीशसिंह स.उ.नि. से इत्तिला मिली कि लक्ष्मीनाथ नगर फतेहपुर में दीपक सर्राफ पुत्र स्व. मोहनलाल निवासी लक्ष्मीनाथ नगर फतेहपुर के रिहायशी मकान में बंद कमरे में राजस्थान रॉयल बनाम मुम्बई इण्डियन्स के बीच चल रहे 20–20 क्रिकेट मैच को लेपटॉप पर देखकर टेलीफोन से वार्ता करके लगाई वाली खाई वाली करके सट्टा कर रहा है। सट्टा बंद मकान में

बैठकर करने की इत्तिला होने पर कार्यवाही के लिए तलाशी हेतु धारा–05 आरपीजीओ के तहत तलाशी वारंट लिया जाना है जिस पर तलाशी वारण्ट लेने हेतु तहरीर की जाकर हमराह कानि. मुकेश कुमार नं.1277 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सीकर के निवास कार्यालय सीकर से रवाना किया गया। मन उ.नि.ईश्वरसिंह मय प्राईवेट वाहन के समय 6.35 पीएम पर रवाना होकर पूर्व से रवानाशुदा श्री भंवरसिंह स.उ.नि. को मय जाप्ता के लक्ष्मीनाथ नगर फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर में मकान के बाहर पहुंचा, जहां पर श्री भंवरलाल स.उ.नि. मय महिला कानि.श्रीमती संयोगिता नम्बर 1559 मय सरकारी वाहन के उपस्थित मिला मन उ.नि. ईश्वरसिंह ने उपस्थित जाप्ता को इतिला से अवगत करवाया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से वारन्ट प्राप्त होने में समय लगने की सम्भावना होने के कारण व संदिग्ध व्यक्ति व सामान के खुर्द–बुर्द होने की सम्भावना है जिस पर उच्च अधिकारियों को दूरभाष हालात निवेदन किये गये, मकान की तलाशी हेतु स्वतंत्र मौतबीरान तलाश करवाये गये तो मौके पर स्वतंत्र मवाहान बनने को तैयार नहीं होने पर हमराह जाप्ता में से श्री भंवर सउनि व श्री बीरबल राम सउनि को मौतबीर मामुर कर मकान श्री दीपक सर्राफ के मकान का गेट खुला होने के कारण मकान के उत्तर झांकते खुला द्वार से प्रवेश करते हुये पूर्व झाकते बंद कमरे को आवाज देकर खुलवाया गया तो बंद कमरे के अन्दर एक व्यक्ति अपने सामने लेपटॉप में राजस्थान रोयल बनाम मुम्बई इण्डियन्स के बीच में चल रहे 20–20 किक्रेट मैच पर देखकर मोबाईल फोनो पर किक्रेट के मैच की लगाई वाली खाई वाली करता पाया गया। जिसको नाम पता पुछा गया तो अपना नाम दीपक सर्राफ पुत्र स्व. मोहनलाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी लक्ष्मीनाथ नगर फतेहपुर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर जिला सीकर बताया तथा जिसके पास एक लेपटॉप एचपी कम्पनी मय चार्जर, चार मोबाईल फोन–वीवो कम्पनी, पोको कम्पनी, रियलमी व रेडमी, दो मोबाईल चार्जर, एक हिसाब कर रजिस्टर दिनांक 27.01.2026 से चालू जिसमें कुल 132 पेज जिस पर अंग्रेजी में PANKAJ लिखा हुआ है। एक बॉल पैन एक स्वीच का बोर्ड मय वायर के, एक काला बैग जिसमें खाईवाली के 19500/–रूपये मिले, शख्श ने लेपटॉप मोबाईल आदि से 20–20 क्रिकेट मैच में सट्टा करना बताया। हिसाब के रजिस्टर के पेज नम्बर 1 से 117 पेज हिसाब से भरे हुए थे। जिसमें खाईवाली करने वालों के बारे में विवरण व खाईवाली का हिसाब होना बताया है। क्रिकेट 20–20 मैच चल रहे हैं में क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली व लगाईवाली का काम करता हूँ। जिसमें ग्राहक मुझे फोन कर क्रिकेट मैच पर सट्टे का भाव पूछते हैं तथा मैच पर रूपयों का दाव लगाते हैं। उक्त का अलग–अलग रूपये के लेन–देन का रिकॉर्ड पैजों में अंकित है, जिसमें ग्राहकों के लगाये गये रूपये मैच का भाव तथा लाभ हानि प्रदर्शित

हो रही है। मोबाईल फोनों में अलग–अलग मोबाईल सिम डली हुई है। मोबाईल फोन व लेपटॉप आपस में वाईफाई से कनेक्ट हैं। सट्टे के हिसाब के सम्बन्ध में पुछा गया तो बताया कि प्रतिदिन 02 से 03 तीन लाख रूपये का मैच पर सट्टे का लेन–देन किया जाता है। जिनको क्रिकेट मैच पर सट्टे पर खाईवाली व लगाईवाली करने का लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र बाबत पुछा तो अपने पास कोई अनुज्ञा पत्र/लाईसेंस नहीं होना बताया। उक्त शख्स द्वारा क्रिकेट मैच के सट्टे पर खाईवाली व लगाईवाली द्वारा एक पक्ष को नाजायज लाभ तथा दूसरे पक्ष को नाजायज हानि पहुंचाया जाना व लोगों के साथ क्रिकेट सट्टे के नाम पर धोखाधड़ी कर सदोष हानि पहुंचाना व स्वयं को सदोष लाभ पहुंचाना अपराध बीएनएस 2023, 3/4 आर पी. जी.ओ व 66 डी आई.टी. एक्ट की खिलाफ वर्जी में आना पाया जाने पर तलाशी में मिले सभी उपकरणों जब्त कर कब्जा पुलिस में लिया जाकर शख्स दीपक सर्राफ के कब्जे से मिले उक्त उपकरण मय रूपयों को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर अनुसंधान हेतु अन शील्ड रखे गये है तथा अभियुक्त दीपक सर्राफ की चैक लिस्ट पृथक से तैयार की गई––इत्यादि। जिस पर पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या–153/2026 अंतर्गत धारा–318(4)/112 (2)B.N.S.2023 व 13 आर.पी.जी.ओ.में दर्ज रजिस्टर किया गया। बाद अनुसंधान उक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दिनांक 24.05.2026 को गिरफ्तार किया गया।

4. अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त का इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है, वह निर्दोष है, पुलिस ने जानबुझकर झूठा फंसाया है तथा उसके विरूद्ध ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें सात वर्ष से अधिक तक की सजा का प्रावधान हो। प्रकरण के निस्तारण में अभी लम्बा समय लगेगा, पुलिस अनुसंधान पूरा हो चुका है , अभियुक्त के फरार होने की संभावना नहीं है तथा अभियुक्त का गवाहों पर कोई प्रभाव नहीं है और वह गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है और ना ही किसी दाण्डिक प्रकरण में उसे दोषसिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

5. अपर लोक अभियोजक की ओर से आरोपित अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

6. उभय पक्षो के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड शून्य है। अभियुक्त पर धारा–

66(डी) आई.टी एक्ट, धारा–3/4 आरपीजीओ तथा धारा–318(4) बीएनएस का आरोप है। प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। न्यायिक निर्णय SLP(Cri.)NO.5191/2021.सत्येन्द्र कुमार अन्टील बनाम सीबीआई व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है उनके प्रकाश में व प्रकरण के तथ्यो परिस्थितियों व केस डायरी पर उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

आदेश

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त दीपक सर्राफ पुत्र मोहनलाल, उम्र 52 वर्ष निवासी–लक्ष्मीनाथ नगर कस्बा फतेहपुर पुलिस थाना फतेहपुर जिला सीकर की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 बीएनएसएस स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि यदि विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर जिला सीकर की संतुष्टि हेतु 50,000/– रूपये का स्वयं का मुचलका व 25,000–25,000/– रूपए की दो जमानत पेश कर तस्दीक करा देवें तो अभियुक्त को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –153/2026 पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सरिता यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर, सीकर

8. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सरिता यादव)
अपर सेशन न्यायाधीश,
फतेहपुर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.05 00:47:53 IST